

प्रेस नोट

थाना सुनगढी पुलिस द्वारा अभियुक्त एजाज अहमद उर्फ पप्पू टेलर को पुलिस मुठभेड़ में 01 नाजायज चाकू, 50000 रुपये नकद, 02 गड्डी ताश के पत्ते, 01 सट्टा पर्चा डायरी, 01 मोबाईल सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 8.7.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत द्वारा चलाये जा रहे अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के अनुपालन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के कुशल दिशा निर्देशन में उ०नि० श्री अचल कुमार, हे०का० 418 वेदप्रकाश व हे०का० 265 हरेन्द्र कुमार के द्वारा रोकथाम जुर्म जरायम धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत नौगावां चौराहा स्टेट बैंक के पास बैरियर लगाकर चेकिंग कर रहे थे कि एक कार आई-10 हल्की सेल्टी रंग की आती दिखाई दी। कि बैरियर पुलिस को देखकर एक दम पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा कि बदमाश का शक होने पर हम लोगो ने आडा तिरछा लोहे के बैरियरों को लगा कर कार को रोक लिया तभी कार में बैठे पीछे वाली सीट से दो व्यक्ति उतर कर नजदीक आये तभी कार चालक अपनी कार पीछे से आ रहे वाहनों के कारण साइड में लगाने का प्रयास करने लगे तभी सडक को खुला पाकर कार चालक ने एक दम कार दौडा दी हम लोग कार को घेरने की कोशिश में लग गये तभी नीचे उतरे दोनो व्यक्ति कार के पीछे-पीछे भागने लगे कि हम लोगो ने कार को छोडकर दोनो व्यक्तियों को पकडने का प्रयास करने लगे कि एक व्यक्ति को स्टेट बैंक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर P.W.D गेस्ट हाउस के समीप रात्रि आवश्यक बल प्रयोग करके पकड लिया। कार चालक व एक व्यक्ति भागने में सफल रहे। पकडा गया व्यक्ति एजाज अहमद उर्फ पप्पू टेलर पुत्र नबाव अहमद निवासी मौ० खुशीमल थाना सुनगढी पीलीभीत ने अपनी कमर से एक अदद चाकू निकालकर जान से मार डालने की नियत से उ०नि० श्री अचल कुमार की गर्दन पर वार कर दिया कि मौजूद कर्मचारीगण लिपट गये और एक अदद चाकू HC 418 वेदप्रकाश क् द्वारा छीन लिया गया। अभियुक्त एजाज अहमद उर्फ पप्पू टेलर से 01 नाजायज चाकू, 50000 रुपये नकद, 02 गड्डी ताश के पत्ते, 01 सट्टा पर्चा डायरी, 01 मोबाईल सैमसंग सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 191/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम (जुआ सट्टा) बनाम (1) एजाज अहमद उर्फ पप्पू टेलर पुत्र नबाव अहमद निवासी मौ० खुशीमल थाना सुनगढी पीलीभीत (2) इकरार अहमद पुत्र श्री जमील अहमद निवासी तालपुरा थाना वहेडी जिला वरेली हाल निवासी फाइक एन्कलेव थाना वारादरी जनपद बरेली (3) गाडी चालक नाम पता अज्ञात (4) गाडी कार नं०-UP 26 M 1644 आई टेन (ii) मु०अ०सं०-192/21 धारा-307 भादवि (पुलिस मुठभेड) बनाम एजाज अहमद उर्फ पप्पू टेलर पुत्र नबाव अहमद निवासी मौ० खुशीमल थाना सुनगढी पीलीभीत (III) व मु०अ०सं०-193/21 धारा-4/25 ए एक्ट बनाम एजाज अहमद उर्फ पप्पू टेलर पुत्र नबाव अहमद निवासी मौ० खुशीमल थाना सुनगढी पीलीभीत पंजीकृत किये गये एवं दौराने गिर० मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मा० मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशो का का पूर्णत पालन किया गया। अभियुक्त एजाज अहमद उर्फ पप्पू टेलर उपरोक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गयी। गिर० शुदा अभि० को थाना लाया गया एवं अभि० को मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभि० का विवरण – एजाज अहमद उर्फ पप्पू टेलर पुत्र नबाव अहमद निवासी मौ० खुशीमल थाना सुनगढी पीलीभीत।

बरामदगी – 01 नाजायज चाकू, 50000 रुपये नकद, 02 गड्डी ताश के पत्ते, 01 सट्टा पर्चा डायरी, 01 मोबाईल सैमसंग।

सम्बन्धित पंजीकृत मुकदमे-

- (1) मु०अ०सं० 191/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम (जुआ सट्टा) थाना सुनगढी पीलीभीत बनाम अभि०–
(1) एजाज अहमद उर्फ पप्पू टेलर पुत्र नबाव अहमद निवासी मौ० खुशीमल थाना सुनगढी पीलीभीत (2) इकरार अहमद पुत्र श्री जमील अहमद निवासी तालपुरा थाना बहेडी जिला वरेली हाल निवासी फाइक एन्कलेव थाना वारादरी जनपद बरेली (3) गाडी चालक नाम पता अज्ञात (4) गाडी कार नं०-UP 26 M 1644 आई टेन।
(2) मु०अ०सं० 192/2021 धारा 307 भादवि थाना सुनगढी पीलीभीत बनाम अभि० एजाज अहमद उर्फ पप्पू टेलर पुत्र नबाव अहमद निवासी मौ० खुशीमल थाना सुनगढी पीलीभीत।
(3) मु०अ०सं० 193/2021 धारा 4/25 ए एक्ट थाना सुनगढी पीलीभीत बनाम अभि० एजाज अहमद उर्फ पप्पू टेलर पुत्र नबाव अहमद निवासी मौ० खुशीमल थाना सुनगढी पीलीभीत

पुलिस पार्टी थाना सुनगढी –

- (1). उ०नि० श्री अचल कुमार चौकी प्रभारी आसाम रोड
(2). हे०का० 418 वेदप्रकाश
(3). हे०का० 265 हरेन्द्र कुमार

